राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

ई मेलः–mrh.sap@gmail.com

क्रमांक 286 दिनांक 7-5-2018

खुली निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक–बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबद निविदाए आमंत्रित की जाती है–

क्र. सं.	NITसं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	5/2018–19	आवासी बालक/बालिकाओं के उपयोग में आने वाले वस्त्रों की धुलाई हेतु लाउण्ड्री (वस्त्र धुलाई) का ठेका	एक वर्ष	900000	18000	24.05.2018 5 PM	25.05.2018 12 PM	25.05.2018 2 PM

निविदा प्रपत्र 200/– बैंकर्स चैक/ड़ीड़ी जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 24.05.2018 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा से संबधित विवरण वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर एवं निदेशालय विशेष योग्यजन की वेबसाईट dsap.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

नोट–1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट sppp .rajasthan.gov.in एव विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in एव निदेशालय विशेष योग्यजन की वेबसाईट dsap.rajasthan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र का भुगतान निविदाये जमा कराते समय डी.डी. के साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रदद कर दिया जायेगा।

अधीक्षक

क्रमांक 287-92 दिनांक– 7-5-2018

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एव एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव,निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड
6. श्रीमती रेखा शर्मा, सूचना सहायक (कार्यव्यवस्थार्थ) को निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय विशेष योग्यजन की वेबसाईट dsap.rajasthan.gov.in एव विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवायें।

अधीक्षक

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेलः—mrh.sap@gmail.com

निविदा फार्म

विषय :— आवासियों के वस्त्र धुलाई हेतु लाउण्ड्री (वस्त्र धुलाई) एवं प्रेस के कार्य के लिये निविदा।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता

....

....

2. निविदादाता का मोबाइल नं...
3. ई—मेल..
4. निविदा शुल्क की राशि 200 रू अक्षरे दो सौ मात्र डीडी/बैंकर्स चैक
5. निविदा सूचना, संख्या 5/2018—19 दिनांक 07.05.2018 जो, कि अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तो की पालना करने के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
6. वस्त्र धुलाई कार्य का जो ठेके पर दिया जाना है उसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, ओर उसी आधार पर दरें दी जा रही है।
7. कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि में कार्य करना शुरू कर दिया जायेगा।
8. लाउण्ड्री (वस्त्र धुलाई) ठेका देने बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है :—

क्र स	कार्य का विवरण	सामान का विवरण	दर प्रति नग (समस्त करों सहित)	दर प्रति नग अधिकतम रूपये	विवि
1.	1.लगभग 275 विमदित महिला एवं बालको के दैनिक उपयोग में आने वाले वस्त्र यथा नेकर, पेन्ट, महिलाओं के वस्त्र, चद्दर, तौलिये, स्वेटर, कम्बल, खेस की प्रतिदिन धुलाई। 2. समस्त वस्त्र प्रेस कर महिला विंग एवं बालक विंग में कपड़ों को पहुचाने का कार्य।	1 शर्ट/कुर्ता		03.00	धुलाई कार्य प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक किया जावेगा।
		2. पेंट/सलवार		03.00	
		3. अण्डरवियर+बनियान/समीज		02.00	
		4 गाउन		03.00	
		5. तौलिया		04.00	
		6 नैपकीन (छोटा तोलिया)		02.00	
		7 चददर		04.00	
		8 तकिया कवर		02.00	
		9 कम्बल/खेस		06.00	
		10 पर्दा		04.00	
		11 टोपा/मोजा		02.00	
		12 स्वेटर		04.00	
		13 दरी		06.00	
		14 चटाई		04.00	

ाट–लाउण्ड्री (वस्त्र धुलाई)की दरें प्रति नग सभी करों सहित होगी। सशर्त एवं अग्रिम भुगतान की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

9. ठेके की एक वर्ष की अवधि में कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह पर उन्हीं दरों पर बढाया जा सकेगा, जिसके लिए संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनों की सहमति से 6 माह की अवधि और बढायी जा सकेगी।
10. बयाना राशि (अर्नेनेस्ट मनी) रूपये.18000/– अक्षरे रूपये अठारह हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या...................... दिनांक .... जमा करा दी गई है।
11. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या ....दिनांक ....
12. वैद्यता अवधि .... की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
13. आयकर स्थाई खाता संख्यां...
14. जी.एस.टी. पंजीयन सख्यां .... दिनांक ....
15. अनुभव प्रमाण पत्र
16. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)

    1. ....
    2. ....
    3. ....
    4. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

ई मेल:–mrh.sap@gmail.com

क्रमांक .... दिनांक....................

निविदा आमंत्रण सूचना–05/2018–19

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित विमंदित बालक एवं महिलाओं के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न कार्यो/आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि इस कार्यालय में निध्ररित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 24.5.2018 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) के बिना जमा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कुल मासिक दर (समस्त करों सहित)	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	1.लगभग 275 विमंदित महिला एवं बालकों के दैनिक उपयोग में आने वाले वस्त्र यथा नेकर, पेन्ट, महिलाओं के वस्त्र, चद्दर, तौलिये, स्वेटर, कम्बल, खेस की प्रतिदिन धुलाई। 2. समस्त वस्त्र प्रेस कर महिला विंग एवं बालक विंग में कपडों को पहुचाने का कार्य।	1 शर्ट/कुर्ता	200 रू.	18000 रू
		2. पेंट/सलवार		
		3 अण्डरवियर+बनियान/समीज		
		4. गाउन		
		5 तौलिया		
		6 नैपकीन (छोटा तोलिया)		
		7 चद्दर		
		8. तकिया कवर		
		9 कम्बल/खेस		
		10 पर्दा		
		11 टोपा/मोजा		
		12. स्वेटर		
		13 दरी		
		14 चटाई		
		उपरोक्त वस्त्रों की लाउण्ड्री (वस्त्र धुलाई) प्रति नग, प्रति माह (समस्त करो सहित) कुल मूल्य		

भरी हुई निविदायें दिनांक 24.05.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाये दिनाक 25.05.2018 को समय 2.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगां।

अधीक्षक

प्रतिबन्ध एवं शर्ते (वस्त्र धुलाई की निविदा)

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदाओ को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. **(अ)फर्म को चिकित्सालय/मंदबुद्धि सरकारी संस्थान में वस्त्र धुलाई कार्य का दो वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।**
   (ब)किसी प्रतिष्ठित स्वयं की संस्थान/दुकान/फर्म जिसे धुलाई/ड्राईक्लीन कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो, और जो पंजीकृत हो एवं कार्य कर रही हो।
4. फर्म को आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन कार्ड, श्रमविभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मय दिनांक, शॉप एक्ट के तहत जारी प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी।
5. फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबंधित फर्म/ संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा। संविदा के संबंध में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
6. निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दो दोनो में लिखी जानी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा।
7. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 18000/–(अक्षरे अठारह हजार मात्र) दिनांक 25.05.2018 को 12:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 25.05.2018 को 2:00 बजे खोली जावेगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. **<u>विधि मान्यता</u> :** निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
9. फर्म/ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।
10. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
11. असफल निविदादाताओ को बयाना राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।
12. करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक अनुबन्ध पत्र नियमानुसार गणना के पश्चात् उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।
iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे:–
(क) बैक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक।
(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।
(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

11.बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जायेगा:–

i.जब निविदादाता निविदा खोलने के वाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii.जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

iii.जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

iv.जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हो

13. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगा :–

I जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

14. ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

15. ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। लाउण्ड्री(वस्त्र धुलाई) प्रेस एवं ड्राईक्लीन का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ठेका विभाग विकल्प पर अधिकतम 6 माह के लिये उन्ही दरो पर बढाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। तत्पश्चात् परस्पर सहमति से 6 माह के लिये बढाया जा सकेगा।

16. उपरोक्त प्रकार से यदि ठेका अवधि में वृद्धि में सहमति नहीं होती तो नवीन ठेका स्वीकृत होने तक अथवा आगामी तीन माह जो भी पहले हो तक स्वीकृत दर पर ही कार्य करने हेतु फर्म बाध्य होगी। और ऐसा नहीं करने पर शर्तो का उल्लंघन मानते हुए जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

17. ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध भंग करना माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की अनुशंषा पर अधीक्षक को होगा।

18. संवेदक द्वारा ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 के अधीन बनाये गये राजस्थान ठेका श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत वांछित लाईसेन्स प्रस्तुत करना होगा।

19. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा पर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार क्रय समिति के निर्णय अनुसार लिया जायेगा।

20. भुगतान:–भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

21. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्ते को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है,स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

23. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

24. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

25. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

26. इस कार्यालय द्वारा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

27. फर्म का औसत तीन वर्ष का टर्नओवर न्यूनतम 20.00 लाख का होने के सनदी लेखाकार/सी.ए. का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

28. संस्था में लाउण्ड्री(वस्त्र धुलाई) के कार्य हेतु किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। धुलाई करने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीडित नही होने चाहियें तथा पूर्ण स्वस्थ हो। धुलाई कर्मचारी प्रातः 9 बजे संस्था में उपस्थित होगें एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही जायेगें। आवश्यकता अनुसार कार्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

29. वस्त्रों की धुलाई हेतु पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला डिटर्जेन्ट/साबुन/पाउडर (वाशिंग मशीन में प्रयोग आने वाली सामग्री) काम में लिया जावेगा।

30. अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

31. लाउण्ड्री मशीन का संचालन दक्ष व्यक्तियों द्वारा करवाना होगा एवं मशीन की मरम्मत एवं देखभाल की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी हो जाने पर उसकी रिपयरिंग का व्यय संवेदक का होगा।

32. मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर मशीन खराब होने की 24 घंटे की अवधि में मशीन को संवेदक को स्वयं के स्तर से ठीक करना होगा। संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि मे मशीन ठीक नही करवाने पर राशि 1000/–रूपये प्रतिदिन की शास्ति संवेदक से वसूल की जायेगी। मशीनों की मरम्मत एवं देखभाल संबंधी समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होगें।

33. निविदा अवधि समाप्ती के दिन मशीन को चालू हालत में वापस प्रभारी लाउण्ड्री को संभलवानी होगी अन्यथा मशीन के मरम्मत कार्य पर होने वाला समस्त व्यय संवेदक से वसूल किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

34. मशीन के चालू नहीं रहने पर वस्त्रों की धुलाई की व्यवस्था संवेदक को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी तथा निर्धारित समयावधि में धुले हुए वस्त्र उपलब्ध कराने होगें। निर्धारित अवधि में धुले हुए वस्त्र उपलब्ध नहीं कराने पर 5/–रूपये प्रति कपडे की शास्ति लगाई जायेगी।

35. संवेदक द्वारा लगाये गये किसी भी कर्मचारी/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय की राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो सम्पत्ति की वास्तविक राशि से दुगनी राशि की वसूली संवेदक के द्वारा प्रस्तुत बिल में से काटने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक को होगा।

36. संवेदक द्वारा लगाये गये कर्मचारी की किसी भी कारण अथवा कार्य के समय के उपरान्त दुर्घटनाग्रस्त होने पर शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति देने की समस्त जिम्मेदारी/दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए सरकार व कार्यालय की कोई जिम्मेदार/मददगार नहीं होगा।

37. संस्था की लाउण्ड्री मशीन चलाने हेतु पानी एवं बिजली की व्यवस्था निशुल्क की जायेगी परन्तु किसी कारणवश संस्था से इनकी आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो इनकी व्यवस्था संवेदक को

स्वयं के स्तर पर और स्वयं के खर्चे पर 24 घंटे के अन्दर करनी होगी जिसका पृथक से कोई भुगतान संवेदक को नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में वस्त्र धुलाई की व्यवस्था नहीं करने पर प्रतिदिन 500/–रूपये की शास्ति लगाई जायेगी।

38. वस्त्र धुलाई हेतु बिजली/पानी के अतिरिक्त अन्य सामग्री के व्यय का भार संवेदक को करना होगा।

39. संवेदक द्वारा वस्त्रो को भली–भॉति धुलाई व साफ–सुथरे एवं प्रेस करके 24 घंटे में आवश्यक रूप से लौटाने होगे। निर्धारित समय पर कपडे नही लौटाने पर प्रथम शिकायत पर 500/– द्वितीय शिकायत पर 1000/–तृतीय शिकायत पर 1500/–रूपये की दर से शास्ति लगाई जायेगी।

40. धुलाई सामग्री प्रतिष्ठित कम्पनी/मार्का की काम में लेनी होगी तथा काम में ली जाने वाली सामग्री की कम्पनी/मार्का की सूची निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। सूची पर निविदादाता के हस्ताक्षर नाम पता एव मोहर एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है।

41. मल–मूत्र एवं शारीरिक अपद्रव्यों से सने वस्त्रों/बैडशीट्स की पृथक–पृथक धुलाई की जायेगी।

42. वस्त्रों को धोने के लिए उत्तम क्वालिटी की आवश्यक धुलाई सामग्री का समुचित मात्रा में उपयोग करना होगा।

43. धुलाई के लिए ले जाने वाले सभी वस्त्रों जिन पर दाग–धब्बे/मल–मूत्र लगे हो उन्हें पूरी तरह साफ कर, भली–भॉति धुलाई कर साफ–सुथरे एवं प्रेस कर लौटाने होगें। दाग–धब्बे/मल–मूत्र लगे होने पर अथवा साफ नहीं होने पर 10/–रूपये प्रति गंदे कपडे की दर से शास्ति लगाई जायेगी।

44. केयर टेकर द्वारा धुलाई हेतु वस्त्र गिनती कर दिये जायेगे एवं गिनती कर लौटाने होगें। जिसका केयर–टेकर/नर्सिग कर्मी द्वारा पृथक से पंजिका संधारण की जायेगी। यदि गणना में कमी पाई जाती है अथवा कपडे/बैडशीट गुम होने/फाड दिये जाने की स्थिति में उन कपडो/बैडशीट को क्रय मूल्य की दर से कपडे/बैडशीट की राशि संवेदक से वसूल की जायेगी।

45. भुगतान करते समय फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।

46. फर्म द्वारा आदेशानुसार कपडे नहीं धोने पर अन्यत्र धुलवाये जायेगे। इस हेतु जो भी राशि व्यय होगी संवेदक के बिल/प्रतिभूति राशि से वसूल की जायेगी।

47. संवेदक को वस्त्र धुलाई के नमूने के रूप में धुलाई किये जाने वाले प्रत्येक आईटम के सैम्पल के अनुसार ही वस्त्र धुलाई करनी होगी।

48. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधान के तहत किसी भी प्रकार का लाईसेन्स/अनुमति पत्र/आवश्यक दस्तावेज लेना आवश्यक हो तो संवेदक स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

49. निविदादाता को बिना कारण वताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक को होगा।

50. धुलाई हेतु दिये गये वस्त्र डिलीवरी के समय से 24 घन्टे में धोकर, सुखाकर एवं प्रेस कर उपलब्ध करवाने होगें। निर्धारित समय के विलम्ब पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगीः–

51. **आवासियों के गंदे कपड़े लाने का कार्य फर्म के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। गंदे कपड़े न लाने की स्थिति में प्रतिदिन 200/– रू. की कटौति की जायेगी। (अतिआवश्यक)**

52. वस्त्र धुलाई की व्यवस्था के लिये अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी। तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।

53. कर्मचारी राज्य वीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी/पी.एफ. /ई.एस.आई. व अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा तथा आवश्यकता होने पर/मांग अनुसार चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

54. ठेकेदार के पास नियुक्ति से पूर्व वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने वाले कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। विना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नही दिया जायेगा।

55. संस्था के प्रभारी/उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर 500 रू की कटौती भी की जावेगी।

56. संवेदक/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिये।

उपरोक्त वस्त्र धुलाई कार्य संबंधी शर्ते, मैने/हमने पढ़ ली है, और यह शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

राजस्थान सरकार

परिशिष्ट "अ"

घोषणा पत्र

मैं / हम यह घोषणा करते है कि मैं / हम धुलाई संबंधी कार्य करते है। हमने निविदा शर्तो के विरूद्व कोई शर्ते नहीं लगाई हैं अगर कही अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती है / मानी जावेगी।

यह है कि यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता